बाइज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/223/7A डा राजीव माथुर v/s सावर सिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/320 6A 2,3	
	श्री अविनाश माथुर श्री मो. इकबाल - 1	

1/7/25

डॉ राजीव माथुर बनाम सांवरसिंह वगैरह (2022/320)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो फरमाये जाने मूल–वाद पेश बाबत निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में वादी/रेस्पोडेंट का राजीनामा पक्षकारान से हो गया है जिससे वाद पत्र की विषय वस्तु बाबत कोई विवाद नहीं रहा है। उपरोक्त वाद पत्र को इसी स्तर पर विड्रो करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद पत्र को विड्रो करने की स्वीकृति प्रदान करावें। रेस्पोडेन्ट/वादी स्वयं उपस्थित हुए एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री मौहम्मद इकबाल द्वार की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि यदि रेस्पोडेन्ट मूल वाद को विड्रो करते है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो फरमाये जाने मूल–वाद स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 69/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2021 को निरस्त किया जाता है तथा मूल वाद संख्या 69/2020 बउनवान सांवरसिंह बनाम डॉ राजीव माथुर विड्रो किये जाने से खारिज किया जाता है।

चूंकि उक्त अपील राजस्व वाद संख्या 69/2020 में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.04.2021 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी जो कि वादी द्वारा मूल वाद पत्र विड्रो किये जाने से साहीन हो चुकी है। अतः वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा मूल वाद पत्र विड्रो किये जाने से अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जी,अजमेर

अपील डिग्री टी.ए. 320 /2022 जिला अजमेर

20221320

1. डॉ0 राजीव माथुर पुत्र स्व0 डॉ0 एम0एस0 माथुर जाति माथुर निवासी–शास्त्रीनगर अजमेर, तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमति वन्दना माथुर पत्नि डॉ0 राजीव माथुर जाति माथुर निवासी–शास्त्रीनगर अजमेर, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस् / प्रतिवादी

बनाम

1. सांवर सिंह पुत्र जेता सिह जाति रावत निवासी–ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
3. उप पंजीयक, अजमेर।

.... रेस्पोडेन्ट

320/2022
21/10/22

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिग्री उपखण्ड अधिकारी जी अजमेर दिनांक 05.04.2021 जो कि वाद संख्या 69/2020 उनवान सांवर सिंह बनाम डॉ0 राजीव माथुर व अन्य में पारित किया।

मान्यवर

यह कि अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट / वादी सांवर सिंह ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध अपीलान्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जी अजमेर के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 0.47 हैक्टेयर जो कि ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर में स्थित है उक्त आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है जिसमें उसका 21/94 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार अपीलान्ट / प्रतिवादी संख्या 1 का 73/188 व अपीलान्ट / प्रतिवादी संख्या 2 का 73/188 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि विवादित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड के वंटवारा नही हुआ है

Scanned with CamScanner